न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—230/2018/225 (2018/00230)

1. रामकिशन पुत्र हजारी, जाति भांबी, निवासी ग्राम केबानियां, तह0 टांटोटी, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. गायड़ उर्फ गायड़िया पुत्र श्रवण,
2. ओगड़, पुत्र अन्ना,
3. केमा पत्नी अन्ना,
4. बेनाराम पुत्र पूसा,
   समस्त जाति रेबारी, निवासीगण ग्राम केबानियां, तहसील टांटोटी, जिला अजमेर ।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, टांटोटी, जिला अजमेर ।
6. जगन्नाथ पुत्र हजारी, जाति भांबी, निवासी ग्राम केबानिया, तह0 टांटोटी, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ दिनांक 31.5.2018 अंतर्गत प्रकरण संख्या 92/2017.

उपस्थितः—

1. श्री शांतिप्रकाश औझा, वकील अपीलांट ।
2. श्री अजीतसिंह राठौड़, वकील रेस्पो0 संख्या 1, 2, 4.
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो0 संख्या 5.
4. रेस्पो0 संख्या 3 व 6 अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांकः— 30.7.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ के आदेश दिनांक 31.5.2018 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. प्रार्थी/अपीलांट द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88, 89 व 188 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत पेश किया साथ ही प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 के तहत पेश कर निवेदन किया कि आराजी खाता संख्या नया 20 पुराना 18 के खसरा नंबर 276 रकबा 1.21 है0 जो ग्राम केबानियां में स्थित है जो वादी व प्रफोर्मा प्रतिवादी की पुश्तैनी आराजियात है जो उनके कब्जे काश्त में चली आ रही है जिसका इंद्राज संवत् 2025 से 2031 राजस्व रिकार्ड में दर्ज है लेकिन भू—संशोधन का रिकार्ड सीज है तथा उक्त आराजी पर वादी एवं प्रफोर्मा प्रतिवादी संख्या 7 की पुश्तैनी आराजी है जो उनके पूर्वजों के समय से कब्जे काश्त में चली आ रही है लेकिन भू—संशोधन के रिकार्ड में वादी के पिता के नाम दर्ज है लेकिन उसके पश्चात् बनाये गये रिकार्ड

में वादी का नाम दर्ज नहीं कर प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के परिवार का नाम बिना किसी आधार के दर्ज कर दिया । उक्त गलत इंद्राज के आधार पर अप्रार्थी संख्या 1 से 4 ने दिनांक 25.6.20217 को धमकी दी की कि वाद वर्णित आराजी हमारे नाम है तथा अप्रार्थी से मिलकर कब्जा छुड़वाने पर आमादा है और बेदखल कर कब्जा करेगें तथा अन्यंत्र हस्तातंरण कर देगें जिस पर मौतबिरान व्यक्तियों ने समझाईश कर एक राजीनामा भी दिनांक 1.7.2017 को प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 के मध्य निष्पादित कराया तथा अप्रार्थी संख्या 1 ने भी वर्षो से प्रार्थी का कब्जा होना स्वीकार किया । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वाद के निर्णय तक अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय दिनांक 31.5.2018 द्वारा प्रार्थी/अपीलांट का प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश न्याय, नियम एवं विधि के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने अपीलांट को बिना तलब किये बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये पत्रावली को कैम्प में नियत कर केवल अप्रार्थी संख्या 1 को सुना जाना अंकित कर प्रार्थना पत्र को खारिज करने में भारी भूल की है। अधी0न्याया0 द्वारा पत्रावली दिनांक 18.4.2018 को न्याय आपके द्वार अभियान 2018 के तहत राजस्व कैम्प में वास्ते राजीनामा हेतु दिनांक 31.5.2018 को ग्राम पंचायत केबानियां में प्रस्तुत करने के आदेश पारित किये। जब उनके समक्ष किसी प्रकार का राजीनामा प्रस्तुत ही नहीं हुआ तो फिर पत्रावली को निर्णित नहीं किया जा सकता था इसके बावजूद अपीलांट के प्रार्थना पत्र को अपने एकपक्षीय आदेश दिनांक 31.5.2018 द्वारा खारिज करने में भारी भूल की है । अधी0न्याया0 के समक्ष कैम्प में यदि अपीलांट उपस्थित नहीं था तो पत्रावली को नियमित सुनवाई हेतु न्यायालय में नियत कर देनी चाहिये थी । अप्रार्थी संख्या 1 जो कभी पूर्व में उपस्थित नहीं हुआ ना ही उसने कोई जवाब पेश किया बिना जवाब प्रस्तुत हुए तथा बिना जवाब बंद किये प्रार्थना पत्र सुनवाई हेतु अपूर्ण था तथा अन्य अप्रार्थीगण तो उपस्थित ही नहीं हुए ऐसी स्थिति में प्रकरण अधी0न्याया0 के समक्ष तलबी हेतु नियत था इसके बावजूद रेस्पो0 संख्या 1 की बहस सुनकर प्रार्थना पत्र खारिज नहीं किया जा सकता था । इस प्रकार अपूर्ण पत्रावली को निर्णित करने में त्रुटि कारित की है । अधी0न्याया0 के द्वारा कैम्प कोर्ट का नोटिस भी जारी किया जाता है तथा वादी/अपीलांट उपस्थित नही होता है तो पत्रावली को ज्यादा से ज्यादा अदम हाजरी अदम पैरवी में ही खारिज किया जा सकता था लेकिन अधी0न्याया0 ने केवल रेस्पो0 संख्या 1 की बहस सुनकर प्रकरण को खारिज करने में विधिक त्रुटि कारित की है । यदि अपीलांट को विधिवत् सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाता तो उनके समक्ष साक्ष्य आती क्योंकि रेस्पो0 संख्या 1 की तरफा से भी एक राजस्व वाद गायड बनाम ओगड़ वाद संख्या 102/2017 तथा अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र संख्या 93/2017 प्रस्तुत किया गया था जिसमें रेस्पो0 संख्या 1 ने यह स्वीकार किया है कि विवादित आराजी पर अप्रार्थी संख्या 4 व 5 का कब्जा करवा दिया है जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि अपीलांट विवादित आराजी पर काबिज काश्त चले आ रहे है तथा उक्त दिनांक को उक्त प्रार्थना पत्र भी विचाराधीन था इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने निर्णय पारित कर प्रार्थना पत्र निरस्त करने में त्रुटि की है । अपीलांट विवादित आराजी पर वर्षो से काबिज काश्त है तथा रेस्पो0 विवादित

आराजी पर कभी भी काबिज काश्त नहीं रहा है । विवादित आराजी अपीलांट की अन्य खातेदारी आराजियात के अंदर है लेकिन अधी0न्याया0 निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र को वर्तमान राजस्व रिकार्ड को आधार मानकर खारिज करने में त्रुटि कारित की है । विवादित भूमि पर अपीलांट ने कब्जे काश्त के संबंध में मौतबीरान व्यक्तियों के द्वारा इकरारनामा बाबत् राजीनामा भी पेश किया था इसलिये द्वितीय पक्षकार गायड जो रेस्पो0 संख्या 1 है ने अपीलांट का कब्जा होना स्वीकार किया है तो ऐसी स्थिति में स्वीकारोक्ति से बड़ी कोई साक्ष्य नहीं हो सकती है । इसके बावजूद धारा 212 का प्रार्थना पत्र निरस्त करने में त्रुटि की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय निरस्त किया जावे तथा प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 212 स्वीकार कर अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे ।

5. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या वकील रेस्पो0 संख्या 1, 2 व 4 ने बहस में निवेदन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का आदेश विधिसम्मत् है। विवादित आराजी रेस्पो0 संख्या 1, 2, 3 व 4 के नाम खातेदारी में दर्ज होकर रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है तथा एक रिकार्डेड खातेदार काश्तकार को निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता है । प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन तथा अपूर्णीय क्षति के बिन्दु अपीलांट के बजाय रेस्पो0 के पक्ष में पाये जाने से अधी0न्याया0 ने अपीलांट का प्रार्थना पत्र निरस्त किया है जो विधिसम्मत् आदेश है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । अधी0न्याया0 की पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम केबानिया की जमाबंदी संवत् 2073 से 76 के खाता संख्या नया–पुराना 20–18 मेंदर्ज खसरा नंबर 276 रकबा 1.21 है0 भूमि अप्रार्थीगण/रेस्पो0 संख्या 1 से 4 के नाम खातेदारी में दर्ज है जिससे स्पष्ट है कि रेस्पो0 संख्या 1 से 4 विवादित आराजी के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है । यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि रिकार्डेड खातेदार काश्तकार को किसी भी निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता है । प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन तथा अपूर्णीय क्षति के बिन्दु प्रार्थी/अपीलांट के बजाय रेस्पो0/अप्रार्थीगण के पक्ष में पाये जाने से अधी0न्याया0 ने प्रार्थी/अपीलांट का प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 खारिज किया है जिसमें हमें कोई अनियमितता प्रतीत नहीं होती है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

7. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ द्वारा प्रकरण संख्या 92/2017 में पारित आदेश यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 30.7.2021 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर